## उत्तर प्रदेश सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग

अनुभाग 3 अधिसूचना 23 दिसम्बर, 2008 ई०

सं0 2158/60/3-2-2008-3(2)/05—अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1960) की धारा 29 के अधीन शक्ति का प्रयोग और उत्तर प्रदेश महिला तथा बील संस्था (नियंत्रण) नियमावली, 1958 से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 4014/36-स-क-680-56, दिनांक 6 अगस्त, 1958 का अतिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

## उत्तर प्रदेश अनाथालय एवं अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) नियमावली, 2008

- 1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्म—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) नियमावली, 2008 कही जायेगी।
  - (2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
  - 2-परिभाषायें-(1) जब तक सन्दंर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में-
    - (क) "अधिनियम" का तात्पर्य अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 से है :
    - (ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है :
    - (ग) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न परिपत्र से है :
    - (घ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;
    - (ङ) "सदस्य" का तात्पर्य बोर्ड के किसी सदस्य से है ;
    - (च) "सदस्य सचिव" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित बोर्ड के सदस्य से है।
- (2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित परन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए अधिनियम में दिये गये हैं।
- 3-सदस्यों का निर्वाचन-(क) सदस्य सचिव किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी को जिसका बोर्ड से सम्बन्ध न हो, निर्वाचन अधिकारी नाम निर्दिष्ट करेगा।
- (ख) प्रत्येक मान्यता प्राप्त आश्रम की प्रवन्ध समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित करेगी और बोर्ड को उसके सम्बन्ध में लिखित रूप में सूचित करेगी।
- (ग) निर्वाचन अधिकारी उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करने के लिये समय, दिनांक और स्थान नियत करेगा।
- (घ) **चप**नियम (3) के अधीन आयोजित बैठक में प्रतिनिधिगण निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण में आपस में से गुप्त मतदान द्वारा 5 व्यक्तियों को सदस्य के रूप निर्वाचित करेंगे और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्तियों के नाम राज्य सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित किये जायेंगे।
- (ड.) यह नियम आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन के सम्बन्ध में भी लागू होगा। किसी आकस्मिक रिक्ति में निर्वाचित सदस्य. उस सदस्य, जिसका वह उत्तरवर्ती होता है, की शेष पदावधि तक पद धारण करेगा।

1-मिक्सिका एवं वालाविकास-1

- 4—अध्यक्ष का निर्वाचन धारा 29(2)(क)—अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सदस्यों के निर्वाचन या नाम निर्देशन के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी ऐसे दिनांक को जैसा उसके द्वारा अवधारित किया जाय, बैठक आयोजित करेगा। ऐसी बैठक में निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण में सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा अध्यक्ष निर्वाचित किया जायेगा।
- 5—सदस्यता के लिए निरर्हता धारा 29(2)(ख)—कोई व्यक्ति सदस्य होने या निर्वाचित किये जाने के लिए अनर्ह हो जायेगा. यदि वह
  - (क) सामान्यतः उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी नहीं है, या
  - (ख) राज्य या केन्द्र सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो, या
  - (ग) विकृत चित्त का हो गया हो, पागल घोषित कर दिया गया हो, या दिवालिया हो गया हो,
  - (घ) न्यायालय द्वारा किसी दाण्डिक अपराध के लिए दोष सिद्ध हो, या
  - (ड.) बोर्ड की बैठकों से लगातार अवसरों पर अनुपस्थित पाया गया हो,
  - (च) 45 वर्ष की आयु का न हुआ हो।
- 6—अनर्हता के सम्बन्ध में विवाद धारा 29(2)(ख)—(1) यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि वह नियम 4 के अधीन अनर्ह हो गया है या नहीं तो बोर्ड उक्त प्रयोजन के लिए आयोजित बैठक में प्रश्न के सम्बन्ध में विनिश्चय करेगा।
- (2) नियम 4 के अधीन पारित आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आवश के दिनांक से 15 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे और राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।
  - 7-बोर्ड की बैठकें-(1) बोर्ड की बैठक सामान्यतः तीन माह में एक बार आयोजित की जायेगी।
- (2) बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति 5 सदस्यों से होगी, किन्तु किसी बैठक के स्थगित हो जाने के पश्चात् अगली बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।
- (3) बोर्ड की बैठकें अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्य सचिव द्वारा बुलायी जायेगी। बैठकों की सूचना सदस्यों को हाथों हाथ दी जायेगी या अन्तिम ज्ञात पते पर कम से कम 15 दिन पूर्व बैठक के स्थान, दिनांक, समय और कार्यसूची की सूचना देते हुए डाक द्वारा दी जायेगी।
- (4) सदस्य सचिव द्वारा कार्यसूची के बिन्दुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी तैयार की जायेगी और उसे बोर्ड की आगामी बैठक में पढ़ा जायेगा और उसे बिना किसी सुधार था संशोधन के रवीकार किया जायेगा। सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड के समक्ष पूर्व बैठकों के कार्यवृत्त और अनुवर्तन पर टिप्पणी प्रस्तुत की जायेगी।
- 8—बोर्ड की निधि धारा 29(2)(ग)—(1) अधिनियम की धारा 10 के अधीन बोर्ड की निधि में प्राप्त धन को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जायेगा और उसके खाते का संचालन सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा।
- (2) बोर्ड की निधि का उपयोग बोर्ड के अनुमोदन से बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर व्यय को पूरा करने और अन्य सारकीय प्रयोजनों के लिए और साथ में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के वासियों के कल्याण के लिए भी किया जाएगा।
- (3) बोर्ड के निधि खाते की लेखा परीक्षा प्रतिवर्ष निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, इलाहाबाद द्वारा नमुना लेखा परीक्षा के आधार पर की जायेगी और आवश्यक फीस भुगतान की जायेगी।
- 9—बोर्ड का बजट धारा 29(2)(झ)—(1) बोर्ड प्रत्येक वर्ष आगामी वर्ष के लिए बोर्ड का बजट तैयार करेगा जिसमें प्राप्तियां और व्यय प्रदर्शित किया जायेगा और उसे प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के 30 सितम्बर के पूर्व निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश बजट की परीक्षा करेगा और उसे बजट की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर टिप्पणी और संस्तुति के साथ राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।
- 10-**बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए यात्रा और अन्य भत्ते धारा 29(2)(घ)**-(क) अध्यक्ष या सदस्य किसी वेतन के हकदार नहीं होंगे।
- (ख) फिर भी अध्यक्ष और सदस्य बोर्ड की बैठक में सिम्मिलित होने के लिए की गयी यात्रा और बोर्ड के हित में की गयी यात्रा के लिए राज्य सरकार के समूह "क" के अधिकारी को अनुमन्य दर पर यात्रा और दैनिक भत्ता के लिए इस शर्त पर हकदार होंगे कि अध्यक्ष के सम्बन्ध में त्रैमासिक अधिकतम धनराशि रुपये 1500.00 और सदस्य के सम्बन्ध में रुपये 1500.00 होगी।
- (ग) सदस्य यात्रा का प्रारम्भ अध्यक्ष का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के बादे ही करेंगे और उनके यात्रा भत्ता बिल अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे।

11—राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी जानकारी धारा 29(2)(च)—बोर्ड राज्य सरकार को उसके द्वारा मांगी गयी कोई विवरणी या जानकारी अपेक्षित समय के भीतर उपलब्ध करायेगा।

12—मान्यता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन धारा 29(2)(छ)—(1) मान्यता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन अनुलग्नक "क" में दिये गये प्रपत्र में क्षेत्रीय निरीक्षक को किया जायेगा।

- (2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन के साथ निम्नलिखित विवरण और सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी-
  - (क) समिति / संगठन / परिषद् / न्यास के रिजस्ट्रीकरण की प्रमाणित नवीनीकृत प्रति।
  - (ख) संविधान और संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रति।
  - (ग) कार्यपालक समिति के सदस्यों (नाम, पिता/पित का नाम, पद/पूरा पता और दूरभाष संख्या, यदि कोई हो), की नवीनतम प्रमाणित प्रति।
  - (घ) मान्यता प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के सम्बन्ध में संकल्प की प्रमाणित प्रति।
  - (ङ). परिषद् / चालू संगठन की गत वर्ष की वार्षिक आख्या किये जा रहे / प्रस्तावित किये जा रहे सभी कार्यों का विवरण।
  - (च) वर्तमान चल और अचल सम्पत्ति (मद का नाम, अनुमानित मूल्य) का पूर्ण विवरण।
  - (छ) प्रस्तावित / चालू कार्यक्रम या योजना, जिसके लिए मान्यता अपेक्षित है और स्थान सुविधा (स्वामित्व में या किराये पर लिये गये) का विवरण। किराये पर लिये गये भवन के सम्बन्ध में भवन के स्वामी और परिषद् के उत्तरदायी व्यक्ति के मध्य 10 रुपये के न्यायिकेत्तर स्टाम्प पर किराये करारनामा / करारनामों की प्रमाणित प्रति।
  - (ज) बैंक / डाकघर का नाम और पता (चालू / बचत) खाता संख्या / खाते का अतिशेष दिया जाये, खाता संचालन करने वाले अधिकारी का विवरण। अतिशेष के प्रमाणीकरण के लिए बैंक / डाकघर के अधिकारी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।
  - (झ) क्षेत्रीय निरीक्षक को अग्रसारण-पत्र के साथ आवश्यक संलग्नकों सहित समुचित रूप से पूर्ण किया गया प्रपत्र "ख"।
- (3) क्षेत्रीय निरीक्षक आवेदन-पत्र का परीक्षण करेगा और अपनी सिफारिश सहित उसे बोर्ड को प्रेषित करेगा।
- (4) बोर्ड अपनी बैठक में उपधारा (2) के अधीन प्राप्त आवेदन पर विचार करेगा और यह विनिश्चय करेगा कि क्या आवेदक को मान्यता प्रदान की जा सकती है या नहीं।
- (5) उपनियम (4) के अधीन बोर्ड के विनिश्चय के अनुसार यथा स्थिति मान्यता प्रमाण-पत्र या आदेश जारी किये जायेंगे।
  - (6) मान्यता प्रमाण-पत्र, अनुलग्नक "ख" में दिये गये प्रपत्र में तीन वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जायेगा।
- (7) इस नियम के अधीन जारी किया गया मान्यता प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।
- (8) मान्यता प्राप्त संस्था का प्रबन्धक मान्यता प्रमाण-पत्र के तीन वर्ष की अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व और तत्पश्चात् प्रत्येक तीन वर्ष पर अनुलग्नक "ग" में दिये गये प्रपत्र में मान्यता प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए अपना नवीनीकरण आवेदन क्षेत्रीय निरीक्षक को देगा।
  - (9) बोर्ड अनुलग्नक "घ" में दिये गये प्रपत्र में नवीनीकरण मान्यता प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
- (10) यदि क्षेत्रीय निरीक्षक को मान्यता के नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र किसी संस्था से विहित समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी संस्था का प्रबन्धक अधिनियम की धारा 24 के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा।
- 13—बोर्ड द्वारा रिजस्टरों और लेखाओं का अनुरक्षण—बोर्ड की बैठकों का रिजस्टर, स्टाक बुक, रोकड़बही, दत्तक ग्रहण/सरक्षकता/विवाह रिजस्टर, मान्यता स्वीकृत और नवीनीकृत रिजस्टर अधिष्ठान का रिजस्टर तथा लेखा अभिलेख बोर्ड के कार्यालय में अनुरक्षित किये जायेंगे।
- 14—लेखाओं की सम्परीक्षा—बोर्ड प्रत्येक वर्ष निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा अपने लेखाओं की लेखा परीक्षा करायेगा, जो लेखा की लेखा परीक्षा नमूना लेखा परीक्षा के जाधार पर करेगा।

## नवीन मान्यता हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रारूप "क"

•	
1—मान्यता हेतु अधिकृत पदाधिकारी का नाम व पद नाम	
2-पिता / पति का नाम	·
3—निवास स्थान (भवन संख्या, ग्राम / मोहल्ला, पोस्ट, थाना व जिला)	
4—समिति/संगठन/परिषद्/संस्थान/ट्र स्ट का नाम (जो पंजीकृत हो)	;
5-संचालित / प्रस्तावित संस्था का नाम वं पूर्ण पता, जिसके लिये पंजीकृत समिति संगठन / परिषद् / संस्थान / ट्रस्ट द्वारा भ्रान्यता हेतु आवेदन किया जा रहा है	:
6—संचालित / प्रस्तावित संस्था का पता (भवन संख्या, ग्राम / मोहल्ला, पोस्ट, थाना व जिला)	:
7—संस्था का स्वरूप (आवासीय/अनावासीय/अन्य)	:
8–कितने संवासियों को रखने हेतु मुज्यता चाही गयी है तथा किस श्रेणी हेतु (बालक / बालिका / महिला)	:
9—गत वित्तीय वर्ष में समिति / संगठन / परिषद् / ट्रस्ट की आय एवं व्यय का विवरण (समिति के उत्तरदायी पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की रिपोर्ट की छायाप्रति)	; <del></del>

मैं घोषित करता हूं कि में अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 के अधीन उपर्युक्त संस्था चलाना चाहता हूं और मैं मान्यता प्रमाण-पत्र की शर्तों, संलग्न निर्देशों तथा नियंत्रण वोर्ड द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा/करूँगी।

ं दिनांक :

मान्यता हेतु उत्तरदायी पदाधिकारी की घोषणा--

मान्यता हेतु अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर)

# मान्यता आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले सलग्नकों का विवरण

- 1-समिति/संगठन/परिषद्/ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण की प्रमाणित प्रति।
- . 2—स्मृति-पत्र एवं नियमावली की प्रमाणित प्रति।
- | -3—प्रबन्ध समिति की नवीनतम प्रमाणित सूची (नाम, पिता / पित का नाम, पदनाम, पूर्ण पता व टेलीफोन नम्बर यदि | कोई हो)।
- । 4—प्रबन्ध समिति की बैठक में संस्था संचालन एवं मान्यता लेने हेतु अधिकृत पदाधिकारी के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति।
- 5-समिति संस्था की गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें समिति/संस्था के द्वारा किये गये/जा रहे व प्रस्तावित समस्त | कार्यों का उल्लेख किया जाय।
- 6—समिति / संस्था की वर्तमान चल, अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण (वस्तु का नाम मात्रा, अनुमानित मूल्य)।
- 7—समिति द्वारा प्रस्तावित/संचालित कार्यक्रम/योजना जिसके लिए मान्यता चाही गयी है के भवन की व्यवस्था का उल्लेख (निजी अथवा किराये पर होगा) किराये की स्थिति में भवन स्वामी तथा समिति के उत्तरदायी पदाधिकारी के मध्य 10.00 रु० स्टाम्प पेपर पर किये गये नोटरी द्वारा नोटराइज्ड अनुबन्ध-पत्र की प्रमाणित प्रति।
- 8—समिति/संस्था का लेखा किस बैंक/पोस्ट आफिस में है, का नाम, पता, प्रकार (करेन्ट/सेविंग) खाता संख्या अवेदन-पत्र के समय खाते में अवशेष धनराशि का उल्लेख किया जाय तथा खाते का संचालन किस पदधारक द्वारा किया जाता है, की स्थिति स्पष्ट की जाय। अवशेष धनराशि के प्रमाणन हेतु पास बुक की प्रमाणित छायाप्रति अथवा बैंक/पोस्ट आफिस के सक्षम पदाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाय।
- 9—प्रारूप 'ख' पूर्ण कर आवश्यक संलग्नकों सहित क्षेत्र के सम्बन्धित मान्यता निरीक्षक को दो प्रतियों में आवरण-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

### उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग, मोतीमहल, लखनऊ मान्यता प्रमाण-पत्र

प्रपत्र-ख

अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम,	1960 की धारा 15(1)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन और संलग्न निदेशों के अनुपालन की शर्त प	<b>पर में एतद्द्वारा पदधारी</b>
श्री/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नी	·
निवासी, मकान संख्या ग्राम मोहल्ला	
डाकघर जिला जिला	***************************************
*	
नाम, जो	
भवन संख्या ग्राम/मोहल्ला डाकघर	
जिला में स्थित है/ उसके लिए प्रस्तावित है, को चलाने की	
करता हूं।	
·	
2—इस संस्था में महिलाओं / लड़कियों / लड़कों का प्रवेश होगा जिनकी आयु ) से अधिक नहीं होगी। 10 वर्ष से अधिक आयु के वासियों को एक साथ	(शब्दों में रखा / नहीं रखा जायेगा।
3—यह प्रमाण-पत्र दिनांक से से विधिमान्य होगा।	तक की अवधि के दौरान
	3153184

अध्यदा,

उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग, मोतीमहल, लखनऊ।

मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्ते-

1—संस्था को एक ही श्रेणी के अतिरिक्त वासियों को या तो सीधे किसी अन्य स्रोत से या नियंत्रण वोर्ड की सिफारिश पर किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से स्थानान्तरण द्वारा वास सुविधा उपलब्ध कराना होगा, यदि वासियों की संख्या उसके यहां स्वीकृत क्षमता संख्या से कम हो।

2-मान्यता प्राप्त संस्था, किसी भी लिंग के दस वर्ष से अधिक आयु के वासियों का प्रवेश; मान्यता प्रमाण-पत्र

में उनके लिए दी गयी अभिव्यक्त अनुज्ञा के विना नहीं करेगी।

3—मान्यता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध तन्त्र, उसके वासी प्रत्येक लड़के/लड़की/स्त्री के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, आवास, वस्त्र, भोजन, चिकित्सा और मनोरंजन की व्यवस्था करेगा। उन्हें आवासित करने हेतु भवन, उस क्षेत्र में विकास और सुविधाओं को बनाये रखते हुए होगा और उसे स्वस्थ वातावरण में अनुरक्षित किया जाएगा।

4–अनभिज्ञ वासियों को बाहर जाने के लिए विधिक संरक्षक (जिसने उन्हें प्रविष्ट किया हो) की समुचित पहचान के विना और संचेतन वालकों के सम्बन्ध में, विधिक संरक्षक की लिखित सहमति के बिना बाहर जाने के लिए

नहीं किया जाएगा।

5—प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था का प्रबन्धक दत्तक ग्रहण के लिए/संरक्षण में रहने वाले पात्र वासियों की

उपयुक्त परिवारों में पुनर्व्यवस्था करने हेतु शीघतम सम्भव प्रत्येक प्रयास करने के लिए बाध्य होगा।

6—िकसी स्त्री वासी के सम्बन्ध में विवाह / रोजगार में पुनर्व्यवस्थित होने तक संस्था में किया जाना बाध्यकारी होगा, जब तक सम्बन्धित स्त्री स्वयं पृथक् किये जाने के लिए प्रबन्धक को आवेदन नहीं करती है और उसने (प्रबन्धक ने) बोर्ड की लिखित सहमति प्राप्त न कर ली हो।

7—िकसी वासी को पूर्व दत्तक ग्रहण पोषण देख-रेख/दत्तक ग्रहण/संरक्षण नहीं दिया जाएगा, जब तक कि बाल कल्याण समिति (सी०डब्ल्यू०सी०) ने उसे/उसको विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित न कर दिया हो, तथा विवाह योग्य बालिका के सम्बन्ध में जब तक कि पूर्व लिखित अनुमति इस हेतु प्रबन्धक द्वारा बोर्ड से प्राप्त न कर लिये

गये हों।

8—िकसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रबन्धक का उत्तरदायित्व होगा कि वह मान्यता समाप्ति के एक माह पूर्व क्षेत्र के उपमुख्य पर्यवेक्षक अधिकारी की मान्यता निरीक्षक के माध्यम से मान्यता के नवीनीकरण के लिए दो प्रति में अपेक्षित संलग्नक सहित प्रपन्न ग में आवेदन करेगा। मान्यता का नवीनीकरण न होने की स्थिति में संस्था का संचालन अधिनियम के उपबनधों के अनुसार दण्डनीय अपराध होगा, जिसके लिए संस्था के प्रबन्धक पर अभियोग चलाया जा सकता है।

9—मान्यता प्राप्त संस्था का प्रबन्धक बोर्ड द्वारा जारी किये गये समस्त निदेशों का अनुपालन करेगा।

मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने हेत् प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर (मोहर)।

## मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन का प्रारूप प्रारूप "ग"

1मान्यता नवीनीकरण हेतु अधिकृत पदाधिकारा का नाम व पद नाम	
2-पिता / पति का नाम	
3—निवास स्थान (भवन सं० ग्राम / मोहल्ला /	
पोस्ट, थाना व जिला)	
4—पंजीकृतसमिति / संगठन / परिषद् / संस्थान / ट्रस्ट का नाम व पता (पंजीकरण के नवीनतम नवीनीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति)	
5—संस्था का नाम व पूर्ण पता (भवन सं0, ग्राम/मोहल्ला, पोस्ट, थाना व जिला) जिसका नवीनीकरण कराया जाना हो ।	
6—नवीनीकरण के समय संस्था के पते में कोई परिवर्तन किया जाना हो तो उपरोक्तानुसार पते का पूर्ण उल्लेख किया जाय।	
7—समिति / संस्थान / परिषद् / ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति की नवीनतम प्रमाणित सूर्च (नाम, पिता / पिता का नाम व्यवसाय पूर्ण पता व टेलीफोन नम्बर यदि कोई हो)	
8—संस्था द्वारा गत 2 वर्ष एवं 5 वर्ष स्थिति के अनुसार संवासियों का प्रवेश / पृथक् किये गये कृत्यों का संक्षिप्त विवरण कुल लाभ निवतों की संख्या, विवाह / गोद / संरक्षण तथा संरक्षकों को सौपकर पुनर्वासित किये गये संवासियों का ब्यौरा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा नौकरी द्वारा पुनर्वासन की स्थिति आदि का विवरण प्रथम नवीनीकरण की स्थिति में तथा उसके पश्चात् के नवीनीकरण की स्थिति में गत 5 वर्षों का विवरण उपरोक्त दर्शित बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में दिया जाय।	
9—संस्था के क्रमशः गत 2 वर्ष एवं 5 वर्ष (प्रथम नवीनीकरण में 2 वर्ष तत्पश्चात् 5 वर्ष) का आय- व्यय का विवरण समिति के सक्षम अधिकारी द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की रिपोर्ट की छायाप्रति।	

मान्यता नवीनीकरण हेतु अधिकृत उत्तरदायी पदाधिकारी के हस्ताक्षर (मोहर)।

## उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग, मोतीमहल, लखनऊ मान्यता निवीनीकरण प्रमाण-पत्र

प्रपत्र-घ

	अनाथाल	ाय अं	ौर	अन्य	पूर्त	आश्रम	(पर	विक्षण	और	नियंत्रण)	अधिनि	यम,	1956	की	धारा	15(1)
द्वारा प्र	दत्त श	क्तियों	के	अधीन	न मैं	एतद्द्वार	रा आंदे	श देत	गहूं वि	<sup>5</sup> श्री ∕ सुश्रृ	ी / श्रीमर्त	n	<b>-</b>			
पुत्र/पुत्र	त्री ∕ पत्नी	श्री	- <b></b>	- <b></b>			<b></b>	निवार	ती. भव	न संख्या -	) 	·				
ग्राम मोह	हला	· <b></b>					पत्राल	ਧ					வா			
जिला -		· <b></b>			<b></b>	<del></del> क	ì	·					वागा			
					<b></b>		•								,	
को भवन	। संख्या			·	ग्राम	/ मोहल	ला <b></b>		ਹਨਾ	लय <b></b>			015			
जिला		<b></b>			में रि	थत			. 141				·था <sup>.</sup>	ul		
नामक र	संस्था, र्	जेसका	पि	छला	नवीन	ीकरण	दिनांव	ਰ	. i		 - समाप्त	 होने	 ਗੁਲੀ		<b></b> - ि के	<del></del>
श्री / सुर्श्र	ो / श्रीमर्त	· 				*******			. ਧਟ		\$1.07,51	QI I	- 4icii	<del>и -</del>	/ <del></del>	1000
श्री	*			- निवा	सी भ	वन संख्	या			ग्राम/म	ਮੇ <del>ਟ ਜ਼ਰ</del>			. પુત્ર	/ પુત્રા,	/ पत्ना
पत्रालय -				- थान	T			<del>[.</del>	ने जा		116661 -				· · ·	
था को उ	जो मान्यत	ना और	त्रभ	चला	글 귬	ियाः	जो ज		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	A			· क	पक्ष	म किय	ा गया
और शर्नी	पार आग	त्य तीः	्रा स	जला जिल्ली	ापा भावित	1014	oli XI	ाधकार	प्रदान – -	किया गय	ाथा उर 	नका ः	नवीनीक	रण र	उन्हीं नि -	बिन्धन
<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	RIÓLE RIÓLE	(T (  •	') qu	- (O)	अवाध	क ।ला	, बद्धाः	था जात	ता ह।	संलग्नक	में यथा प्र	दत्त	अतिरिव	त्त श	र्तेभी ट	र्तमान
чичи я С—	ાપા ઝા <i>∕</i>	सुश्रा/	'श्राम	di	· <b>-</b>	·		<b></b>		पुत्र/पुत्री	ो / पत्नी	श्री				
नवासा भ	वन संख्य	ग				ग्राम /	'मोहल	ला			Q	त्रालर	य			
थाना			*	जिला-				प	र अधि	रोपित की	जा रही	肯	और ये	शर्ते	उसके	लिए
बाध्यकारी	होगी।	,		,											,	,
दिनांक -				. से -				<u>.</u> ਰਨ	की अ	विधि के वि	<del>பா செல்</del>		T T	- A		
देनांक				••				(14)	পথ জ	ापाय प्रा	लंद ।पाध	सम्मह	ገ የካዣ	स मा	न्यता प्र	ाप्त)।

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश नियंत्रणं बोर्ड, महिला एवं बॉल विकास विभाग मोतीमहल, लखनऊ।

# पृथक् रजिस्टर में पृथक् पृष्ठों में वासियों के प्रवेश का प्रपत्र

- 1-क्रम संख्या
- 2-दैनिक उपस्थित रजिस्टर की क्रम संख्या
- 3-वासी का नाम
- 4-आय्-वर्ष माह और दिन में
- 5—धर्म
- 6-लिंग
- 7-प्रवेश के समय स्वास्थ्य रिपोर्ट
- 8-अन्तिम ज्ञात आवासीय पता
- 9-सम्बन्ध का प्रकार और पता सहित निकटतम नातेदार का नाम
- 10—माता पिता / पित का नाम और उसका पता और जीवित होने या न होने का उल्लेख कीजिए
- 11-वासी की देखभाल के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति का पता
- 12—प्रवेश के समय वासी के सम्पोषण हेतु दी गयी धनराशि और भावी प्रत्याशित धनराशि ...
- 13-उस व्यक्ति या संरक्षक का नाम और पता जिसने वासी को प्रविष्ट कराया हो
- 14-प्रवेश का कारण
- 15-प्रवेश के सम्य परिवचन और शर्ते
- 16-मामले का संक्षिप्त इतिहास
- 17-प्रवेश का दिनांक
- 18-पृथक्करण का दिनांक
- 19—पृथवकरण का कारण और हेतुक
- 20-प्राधिकारी, जिसने पृथक्करण का आदेश दिया

आज्ञा से, आर0 एस0 वर्मा, सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2158/LX-3-2-2008-3(2)/05, dated December 23, 2008:

## No. 2158/LX-3-2-2008-3(2)/05

December 23, 2008

In exercise of powers under section 29 of the Orphanages and other Charitable Homes (Supervision and Control) Act, 1960 (Act no. 10 of 1960) and in suppression of notification no. 4014/XXXVI-SW-680-56, dated August 6, 1958 regarding the Uttar Pradesh Women's and Children's Institutions (Control) Rules, 1958, the Governor is pleased to make the following rules:

# THE UTTAR PRADESH ORPHANAGES AND OTHER CHARITABLE HOMES (SUPERVISION AND CONTROL) RULES, 2008

- 1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Orphanages and other Charitable Homes (Supervision and Control) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official Gazette.

1410 महिला क्लं काल निकास-2

- 2. Definitions—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,--
  - (a) 'Act' means the Orphanages and other Charitable Homes (Supervision and Control) Act, 1960;
  - (b) 'Chairman' means the Chairman of the Board;
  - (c) 'Form' means a form appended to these rules;
  - (d) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh:
  - (e) 'Member' means a member of the Board;
  - (f) 'Member Secretary' means the Member of the Board nominated by the State Government under clause (c) of sub-section (2) of section 5 of the Act.
- (2) Words and expressions used in these rules not defined but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in this Act.
- 3. *Election of Members*—(1) The Member Secretary shall nominate a Gazetted Officer who is not related to the Board as the Election Officer.
- (2) The Management Committee of each recognized home shall elect one of its member as the representative and shall inform to the board in writing.
- (3) The Election Officer shall fix time, date and place to convene a meeting of the representatives referred to in sub-rule (2).
- (4) In the meeting convened under sub-rule (3), the representatives, shall elect from amongst themselves by secret ballot five persons as the members under the supervision of the Election Officer and the names of the persons so elected shall be published in the Gazette by the State Government.
- (5) This rule shall also apply for an election to fill up the casual vacancies. A member elected in a casual vacancy shall hold office for the remainder of the term of the member whom he succeeds.
- 4. Election of Chairman [Section 29(2)(a)]—Subject to the provisions of sub-section (4) of section 5 of the Act, after the election or nomination of members, the Election Officer shall convene a meeting of such date as may be determined by him. In such meeting the Chairman shall be elected by the members by secret ballot under the supervision of the Election Officer.
- 5. Disqualification for Membership [Section 29(2)(b)]—A person shall be disqualified for being or for being elected as member, if he--
  - (a) is not ordinarily resident of the State of Uttar Pradesh; or
  - (b) holds any office of profit under the State or Central Government; or
  - (c) is of unsound mind, is declared to be lunatic or has become insolvent:
  - (d) is convicted for a criminal offence by the court of law; or
  - (e) is found absent from the meetings of the board for the consecutive occasions;
  - (f) has not attained the age of 45 years.
- 6. Disputes regarding Disqualifications [Section 29(2)(b)]—(1) If any question arises whether any person is or has become disqualified under rule 4 or not the Board shall decide the question in a meeting thereof convened for the purpose.
- (2) Any person aggrieved by the order passed under rule (4) may within fifteen days from date of such order, appeal to the State Government and it may after giving an opportunity to the person concerned of being heard, pass such order, as it deems fit and the decision of the State Government shall be final.

- 7. Meetings of the Board—(1) Generally meetings of the Board will be held once in three months.
- (2) The quorum for the meeting of the Board will be five members but after postponement of a meeting no quorum is necessary for subsequent meeting.
- (3) The meeting of the Board will be convened by the Member Secretary with the approval of the Chairman. The notice of the meeting shall be delivered to the Members hand-to-hand or send by post on the last known address at least fifteen days in advance intimating venue, date, time and agenda of the meeting.
- (4) The brief notes of the Agenda points will be prepared by the Member Secretary and will be read in the ensuring meeting of the Board and adopted without any correction and amendments. The notes on minutes and follow up of previous meeting will be put by the Member Secretary before the Board.
- 8. Fund of the Board [Section 29(2)(c)]—(1) The money received in the Fund of the Board under section 10 of the Act shall be deposited in a Nationalised Bank and the account thereof shall be operated by the Member Secretary.
- (2) The Fund of the Board shall be utilized to meet the expenditure on salaries and allowances of the Chairman, Members and other officers and employees of the Board and other official purposes and also for welfare of inmates of the recognized Institutions with approval of the Board.
- (3) The account of the Fund of the Board shall be audited every year by the Director Local Fund Accounts Examiner Department, Allahabad on the basis of Test Audit and payment of the necessary fee.
- 9. Budget of the Board [Section 29(2)(c)]—(1) The Board shall prepare every year the budget of the Board for the next following financial year showing receipts and expenditure and submit to the Director Mahila Kalyan Vibhag, Uttar Pradesh on or before September 30 of each calendar year.
- (2) The Director, Mahila Kalyan, Uttar Pradesh shall examine the budget and forward it to the State Government with comments and recommendation within one month of the date of receipt of the budget.
- 10. The Travelling and other allowances for the Chairman and Members of the Board [Section 29(2)(d)]—(a) The Chairman or a Member shall not be entitled to any salary.
- (b) The Chairman or a Member shall however be entitled to Travelling and daily allowance at the rates admissible to the Group-A officer of the State Government for journeys to attend the meetings of the Board and for journeys performed in the interest of the Board, with the condition that in respect of the Chairman the quarterly ceiling shall be at Rs. 1500.00 and in case of a Member at Rs. 1500.00.
- (c) The Members shall undertake journey only after obtaining prior approval of the Chairman, and their travelling allowance bill, will be countersigned by the Chairman.
- 11. Information called by the State Government [Section 29(2)(f)]—The Board shall make available to the State Government any return or information called by it within the required time.
- 12. Application for certificate of recognition [Section 29(2)(g)]—(1) The application for certificate of recognition shall be made to the Regional Inspector in the Form given in Annexure 'A'.

#### Annexure-C

## APPLICATION FORM FOR RENEWAL OF RECOGNITION

#### FORM 'C'

- 1. Name and post hold by the office bearer authorised to apply for renewal of recognition.
- 2. Name of father/husband.
- 3. Residential address (House no., Village/Mohalla, Post, Police Station, District).
- 4. Name and address of the registered Society/Organisation/Council/Institution/Trust alongwith certified copy of the last registration certificate.
- 5. Name and full address of the Institution (House no., Village/Mohalla, Post, Police Station, District).
- 6. If at the time of renewal any change is requested to be made in the address, indicate in full.
- Latest certified list of members of the managing committee of the Society/Organisation/Council/Institution/Trust (giving 'father/husband name, occupation, address and phone no., if any).
- 8. Brief description of bi-yearly or five-yearly, as the case may be, report of the institution's activity in respect of total no. of beneficiaries' marriage/adoption/rehabilitation to guardianship, education/training given, and settlement in job done on the occasion of first and subsequent renewals.
- 9. The income and expenditure details of the institution during first renewal in two years and subsequent renewal in five years to be accompanied by photocopy of report of the chatered accountant and certified by the Competent Office-bearer.

Date:

Signature of Office Bearer Authorised to Apply for Renewal of Recognition.

(Seal)

# UTTAR PRADESH CONTROL BOARD, WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, MOTIMAHAL, LUCKNOW

#### FORM 'D'

•	Cerred by section 15(1) of the Orphanages and other Charitable Control) Act, 1960, I hereby order that the recognition of the
Institution named as	
	Village/MohallaPost Office
Police Station	District
and authorisation to operate	the same accorded to Sri/Ms
son/daughter/wife of	resident of house No
Village/Mohalla	Post Office
Police Station	District' whose last renewal was /done
in favoure of Sri/Ms	son/daughter/wife of
resident of House No	Post Office
- Police Station	District for period ending on
that the renev	val is extended on the same terms and conditions for a further periods
of five years. Additional con	nditions as given in the enclosure are also being imposed on the extent
recognised Sri/Ms	son/daughter/wife of
	Village/Mohalla
- Post Office	Police Station District
and these conditions shall	be binding on him.
(Lawfully recognised	for period from).

Dated:

Chairman,
Uttar Pradesh Control Board,
Women and Child Development Department,
Motimahal, Lucknow.

#### FORM OF ADMISSION OF INMATES IN SEPARATE REGISTER IN SEPARATE PAGES

- 1. Serial No.
- 2. The serial no. of daily attendance register
- 3. Name of Inmate
- 4. Age in years, months and days
- 5. Religion
- Sex.
- 7. Health report at the time of admission
- 8. Last known residential address
- 9. Name of nearest relative along with nature of relation and address of the relative
- 10. Name of parents/husband, and his address, and to state if alive or not
- 11. Name of the person responsible for look after of inmate and that person's address
- 12. The amount given for maintenance of the inmate at the time of admission, and expected amount in future
- 13. Name and adress of the person or guardian who admitted the inmate
- 14. The reason of admission
- 15. Undertakings and conditions at the time of admission
- 16. A brief history of the case
- 17. Date of admission
- 18. Date of separation
- 19. The cause and causant of separation
- 20. The authority who ordered the separation

By order, R. S. VERMA, Secretary.

टिप्पणी--राजपत्र दिनांक 17-1-2009 के भाग 1-क में प्रकाशित विज्ञप्ति। [प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषत—] े १एस०यू०पी0—1 साо महिला एवं बाल विकास—24-1-2009—22,000 प्रतियां (डी०टी०पी०/आफसेट)।